MP CURRENT AFFAIRS 2020-21

Schemes and Policies

QUICK REVISION

मध्यप्रदेश निम्नलिखित क्षेत्रों में देश में अग्रणी है:-

- गेहूं खरीदी में देश में मध्यप्रदेश का **प्रथम** स्थान है।
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में **प्रथम** स्थान है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देश में **प्रथम** स्थान प्राप्त किया है।
- मनरेगा योजना की बजट वृद्धि में देश में **दूसरा स्थान** प्राप्त किया है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में **पहला स्थान** प्राप्त किया है।
- प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना के तहत् पथ विक्रेताओं को ऋण देने में **पहला स्थान**
- स्मार्ट सिटी रैकिंग में प्रदेश का देश में **दूसरा स्थान** है।
- जल जीवन मिशन के तहत् नल कनेक्शन प्रदान करने में **दूसरा स्थान** प्राप्त किया है।
- सुगम व्यवसाय रैंकिग में प्रदेश ने देश में **चौथा स्थान** प्राप्त किया हैं।

मध्यप्रदेश सरकार की नवीनतम महत्वपूर्ण योजनाएं:-

- **मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना:-** मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की आय 2गुनी तथा उनके कल्याण हेतु प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना के सभी हितग्राहियों दो किस्तों में 4000 रू.देने की घोषणा 26 जनवरी 2021 को की गई
- **मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना:-** 8 जुलाई 2020 को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रारंभ करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ कि गई। इसका लाभ केवल मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों स्ट्रीट वेडंर सड़क विक्रेता साईकिल वाला व ठेले वाले को 10000 का ऋण दिया जाएगा जिसका सम्पूर्ण ब्याज सरकार वहन करेगी।

- **CM राइज योजनाः-** इस योजना के तहत् मध्यप्रदेश में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु 9200 सर्वसुविधा सम्पन्न शासकीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित कर मध्यप्रदेश के विद्यार्थीयों को **ICSE** व **CBSE** स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना।
- **मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजनाः-** वित्त वर्ष 2021-22 के कृषि बजट में पहली बार किसानों की फसल का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में राज्य की उपार्जन संस्थाओं जैसे नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफैड को आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाः-** मध्यप्रदेश सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 अगस्त 2014 को यह योजना प्रारंभ की । इस योजना के तहत् 50000 से 10 लाख रू. तक का ऋण 18 से 35 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को 7 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएगा।
- **मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनाः-** मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार नागरिक के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने हेतु ये योजना प्रदान की गई।इस योजना के तहत् दिए गए ऋण पर सरकार ब्याज अनुदान भी प्रदान करेगी।
- **पुलिस कर्मियों के लिए कर्मवीर योद्धा योजनाः-** मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ चलाये गए अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पुलिस और नगर सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा पदक से सम्मानित करने की योजना प्रारंभ की गई है। इन्हें 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा।

- **मुख्यमंत्री कोरोना यौद्धा कल्याण योजनाः-** 30 मार्च 2020 कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए समर्पित काम कर रहे कर्मचारियों को कोविड के कारण जीवन की हानि सेवा के दौरान दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु होने पर 50 लाख रू. का भुगतान किया जाएगा।
- **मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजनाः-** मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर यह योजना 15 अप्रैल को प्रारंभ की गई इसके तहत् मध्यप्रदेश के प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्य में फंसे है उन्हें 1000 रू. की मदद उपलब्ध कराई गई।
- **मुख्यमंत्री कल्याण योजनाः-** मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना 2018 मे प्रारंभ की गई इस योजना के दौरान गर्वभती महिलाओं को मातृत्व की सुविधा छात्रों को प्रोत्साहन, बिजली बिल माफी के साथ निशुक्ल स्वास्थ्य देखभाल शामिल हैं।

नए कानून और नियमः-

- **मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020ः-** यह 9 जनवरी 2021 से लागू हुआ इसके तहत् जबरन, भयपूर्वक बहला-फुसला कर धर्म परिवर्तन करवा कर विवाह करने वाले व्यक्ति या संस्थान को कम से कम 1साल अधिकतम 5 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।

  इसके साथ अपने धन छिपाकर कानून के प्रावधानों के खिलाफ धर्म परिवर्तन करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा व 50000रू जुर्माने का प्रावधान।
- **साहूकारों से मुक्ति दिलाने के लिए अनुसूचति जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम-2020ः-** इस विधेयक के तहत् अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के 15 अगस्त 2020 तक ब्याज सहित सभी ऋण माफ करने का प्रावधान था।

- **किसानों को फसल बेचने के बेहतर विकल्प देने के लिए मंडी कानूनों में सुधारः-**
  इसके तहत् किसानों को फसल बेचने के लिए मोबाइल पर संदेश भेजने के साथ उन्हें व्यापारियों या मंडी में बेचने की छूट दी गई है। इसके
  तहत् निजीक्षेत्रों में मंड़ियो की स्थापना के साथ एक ही लाइसेन्स से व्यापारियों को पूरे प्रदेश में व्यापार करने की छूट दी गई हैं।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

आत्मनिर्भर निर्भर मध्य प्रदेश 2023 के बारे में:

- राज्य के लिए रोडमैप को तैयार करने के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा पर चार सेमिनार आयोजित किए गए।
- इस संगोष्ठी में विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त इनपुट के आधार पर, आत्म निर्भार मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार किया गया है।
- अर्थव्यवस्था और रोजगार भी प्रमुख फोकस क्षेत्र होंगे और लघु और कुटीर उद्योग प्रोत्साहित किया जाएगा।
- स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य में अस्पतालों का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

भौतिक अधोसंरचना के क्षेत्र में मध्यप्रदेश सरकार के कार्यः-

- अटल **प्रोग्रेस-वे एक्सप्रेस-वे** के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र का विकास।
- सभी ग्रामीण घरों में 1.03 करोड़ **घरेलू नल कनेक्शन** की परियोजना।
- 60 **सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण** कर 60 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का विस्तार करना
- 378 शहरों में 3 लाख आवास का निर्माण कर 24 प्रमुख **सड़को का नवीनीकरण** करना।
- **मल्टी मॉडल लॉजस्टिक पार्क** की स्थापना के साथ **टोल प्लाजाओं का ऑटो मैशन** करना
- 750 मेगा वॉट की देश की **सबसे बड़ी रीवा अल्ट्रामेगा सौर** परियोजना शुरू करना।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश सरकार के कार्यः-

- **सीएम राइज योजना के** तहत् 9200 सर्व सुविधा सम्पन्न शासकीय विद्यालयों की स्थापना करना।
- सभी इंजीनिरिंयग तथा आई.टी.आईस में **कॅरियर तथा प्लेसमेन्ट सेल** की स्थापना करना।
- 1600 **अत्याधुनिक प्रसव केन्द्रों** की स्थापना करना।
- 5100 **स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन एवं आधुनीकिकरण** करना।
- प्रतिभाशाली **छात्र प्रोत्साहन योजना** के तहत् 40 हजार से अधिक विद्यार्थीयों को लैपटॉप वितरण।
- कोविड के दौरान **स्वास्थ्य सुविधाओं एवं जाँच केन्द्रों** का विस्तारीकरण करना।

सुशासन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश सरकार के कार्यः-

- नागरिकों के लिए '**Ease of Living**' के तहत् प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- नागरिकों के लिए **एकल डेटाबेस** के माध्यम से सेवा प्रदान करना।
- सार्वजनिक सेवाओं के लिए **मोबाइल आधारित** सेवा प्रदान करना।
- ग्रामों की आबादी, **भूमि का ड्रोन** तथा अभिलेख प्रदान करना।
- कृषि भूमि के सटीक सर्वेक्षण हेतु नई तकनीक का उपयोग।
- समय सीमा में सेवा प्राप्त नहीं होने पर **कम्प्यूटर द्वारा स्वतः** सेवा प्रदान करना।

अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के क्षेत्र में मध्यप्रदेश सरकार के कार्यः-

- एक जिला एक उत्पाद के तहत् खेती क्षेत्र के पास ही **खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों** की स्थापना।
- प्रदेश में 200 क्षमता के **नये उद्यमियों के लिए कार्यस्थल** की इंदौर तथा भोपाल में स्थापना।
- **नॉलेज पोर्टल और युवा संवाद** के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करना।
- औद्योगिक विकास हेतु **भूमि बैंक** नीति।
- राष्ट्रीय उद्यानों में **बफर में सफर योजना** के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना।
- युवाओं एवं महिलाओं को पर्यटन संबंधी गतिविधियों का प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करना।
- 3 लाख पथ विक्रेताओं को स्वंय के रोजगार हेतु **ब्याज मुक्त ऋण** उपलब्ध कराना।